तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
11/12/23	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। TDR रिपोर्ट क्रमांक 813 दि 8/12/23 प्राप्त शामिल पत्रावली की गई। दोनों पक्षों के बहस सुनी। आदेश अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली निर्णय मुताबिक होकर दाखिल दफ्तर हो।

[illegible] गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 177/2023

प्रार्थीगण

1. हनुमानराम थोरी पुत्र गोरधनराम कौम जाट
2. गोरधनराम पुत्र देराजराम कौम जाट निवासी जगराम की ढाणी तह. नौखडा
3. राउराम पुत्र नन्दराम कौम जाट निवासी पोकरासर तहसील नौखडा
4. सोहनलाल चौधरी पुत्र गोरधनराम कौम जाट निवासी शास्त्री नगर, बाड़मेर
5. कंवराराम पुत्र जोधाराम कौम जाट
6. चुनीलाल पुत्र गोमाराम कौम जाट
7. हेमदास पुत्र मांगीलाल कौम साद
8. तारा पुत्र गवरा कौम देशान्तरी
9. भीमाराम पुत्र मगा उर्फ मांगीलाल कौम देशान्तरी
10. लालीदेवी पत्नी मोहणा उर्फ मोहनलाल कौम देशान्तरी
11. श्रवण पुत्र मोहणा उर्फ मोहनलाल कौम देशान्तरी
12. अमीनखां पुत्र रहीम खां कौम तेली
13. नसार खां पुत्र अमीनखां कौम मुसलमान
14. पठानखां पुत्र अमीनखां कौम मुसलमान
15. रज्जाक खां पुत्र अमीनखां कौम मुसलमान
16. हनीफखां पुत्र अमीनखां कौम मुसलमान
17. नेमी पत्नी बाबूदास कौम सन्त निवासी नौखडा तहसील नौखडा
18. दमाराम पुत्र पीराराम कौम जाट
19. लुम्बाराम पुत्र पीराराम कौम जाट
20. मगाराम पुत्र डाऊराम कौम प्रजापत
21. शेराराम पुत्र अणदाराम कौम प्रजापत निवासी भीलों का गोल तहसील नौखडा
22. गोसाईराम पुत्र हुकमाराम कौम जाट
23. मूलीदेवी पत्नी हुकमाराम कौम जाट
24. भूराराम पुत्र रावताराम कौम दर्जी निवासी नेहरों की ढाणी खुर्द तहसील नौखडा
25. खीयाराम पुत्र कुंभाराम कौम जाट
26. रामाराम पुत्र मगाराम कौम जाट
27. राऊ पत्नी रतनाराम कौम जाट
28. हुकमाराम पुत्र जीयाराम कौम जाट निवासी हूडों का तला तहसील नौखडा
29. मूलाराम पुत्र लालाराम कौम कुम्हार
30. जेठाराम पुत्र हरचंदराम कौम कुम्हार
31. विशनाराम पुत्र चूनाराम कौम कुम्हार
32. भगवानराम पुत्र चूनाराम कौम कुम्हार
33. वीरोंदेवी पत्नी भगवानाराम कौम कुम्हार
34. पेम्पोंदेवी पत्नी विशनाराम कौमकुम्हार
35. रूखमण कुमार पुत्र हरचन्दराम कौम कुम्हार
36. लाभूराम पुत्र हरचन्दराम कौम कुम्हार निवासी गुरूओं का तला, तहसील नौखडा
37. मूलाराम पुत्र सालूराम कौम कुम्हार निवासी नेहरों का बेरा तहसील नौखडा
38. ईशाकखां पुत्र कमाल खां कौम तेली निवासी रोहिली तहसील शिव जिला बाड़मेर

बनाम

प्रार्थीगण
1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नौखडा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते लट्ठा ट्रेस में तरमीम दुरस्त करने बाबत्

उपस्थित :

1. **श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **तहसीलदार नौखडा विप्रार्थी**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 11/12/23

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् तरमीम दुरस्ती का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 781/704 में से क्रय कृषि भूखण्ड खसरा नम्बर 823/704, 824/704, 880/869, 811/704, 881/869, 809/704, 717/413, 716/413, 712/413, 796/704, 805/704, 822/704, 803/704, 800/704, 801/704, 779/704, 806/704, 804/704, 802/704, 795/704, 813/704, 818/704, 821/704, 825/704, 820/704, 819/704, 826/704, 879/864, 827/704, 878/864, 874/866, 877/859, 876/859, 860/781, 861/781, 861/781, 863/781, 865/781, 867/781, 868/781, 875/866 एवं रास्ते हेतु समर्पित खसरा नम्बर 851/781, 852/781, 853/781, 854/781, 855/781, 856/781, 857/781, 858/781 सरहद मौजा नौखडा तहसील नौखडा की तरमीम वर्तमान में ऑन लाईन सेग्रीगेशन के समय मूल लट्ठा एवं खसरा नम्बरी में तरमीम पुख्ता करते समय प्रार्थीगण के मौके कब्जे एवं वर्तमान तरमीम भिन्न दर्ज होने से वर्तमान कब्जा–काश्त अनुसार लट्ठा ट्रेस में दुरस्ती तरमीम की जानकारी होने पर राजस्व कार्मिकों द्वारा उक्त कलमीय भूल सुधार हेतु तरमीम दुरूस्ती का यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में लाना आवश्यक होने से पेश किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी भूमिधारक तहसीलदार नौखड़ा ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2023/813 दिनांक 08.12.2023 पेश कर अवगत

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

कराया कि मौजा नौखडा के खसरा नम्बर 781/704 रकबा 1.8777 हैक्टेयर में खातेदारान द्वारा रास्ता समर्पण करने पर समर्पित भूमि का नामान्तरकरण संख्या 755/06.09.2021 दायर करते समय खसरा नम्बर 781/704 में से नवसृजित खसरा नम्बर 859/781, 861/781, 861/781, 863/781, 864/781, 865/781, 866/781, 868/781, 869/781, का रकबा राजस्व रेकर्ड में मौके से भिन्न दर्ज हो गया। तत्पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 768/22.11.21 द्वारा खसरा नम्बर 866/781 में से नवसृजित खसरा नम्बर 874/866 व 875/866 एवं नामान्तरकरण संख्या 733/0.12.2021 द्वारा खसरा नम्बर 859/781 में से नवसृजित खसरा नम्बर 876/859 व 877/859 एवं खसरा नम्बर 864/781 में से नवसृजित खसरा नम्बर 878/864 व 879/864 एवं खसरा नम्बर 869/781 में से नवसृजित खसरा नम्बर 880/869 व 881/869 की तरमीम व रकबा अशुद्ध दर्ज हो गया अतः मौका कब्जा व प्रार्थीगण की सहमति अनुसार ग्राम नौखडा के खसरा नम्बर 823/704, 824/704, 880/869, 811/704, 809/704, 717/413, 716/413, 712/413, 796/704, 705/704, 803/704, 801/704, 800/704, 819/704, 860/781, 826/704, 878/864, 799/704, 822/704, 806/704, 804/704, 802/704, 795/704, 813/704, 818/704, 821/704, 825/704, 820/704, 874/866, 867/781, 827/704, 876/859, 851/781, 858/781, 855/781, 853/781, 852/781, 854/781, 857/781, 856/781 की तरमीम तथा खाता संख्या 135 में तीन नए खसरे रकबा कमशः 0.0828, 0.0647, 0.0081 हैक्टेयर सृजित करते हुए संलग्न नक्शा में दर्शित खसरा नम्बर मय रकबा अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना प्रस्तावित किया है।

पत्रावली पर दोनों पक्षों की बहस सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड तथा भूमिधारक तहसीलदार नौखडा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोंट का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया। चूंकि प्रार्थीगण सहमति तरमीम दुरूस्त कराने हेतु सहमत हैं तथा विप्रार्थी भूमिधारक तहसीलदार नौखडा ने अपनी रिपोर्ट कमांक भू.अ./2023/813 दिनांक 08.12.2023 द्वारा यह स्वीकार किया है कि मौजा नौखडा के खसरा नम्बर 781/704 रकबा 1.8777 हैक्टेयर में खातेदारान द्वारा रास्ता समर्पण करने पर समर्पित भूमि का नामान्तरकरण संख्या 755/06.09.2021 दायर करते समय खसरा नम्बर 781/704 में से नवसृजित खसरा नम्बर 859/781, 861/781, 861/781,

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

863/781, 864/781, 865/781, 866/781, 868/781, 869/781, का रकबा राजस्व रेकर्ड में मौके से भिन्न दर्ज हो गया। तरमीम किये जाने से राजस्व कार्मिकों द्वारा उक्त कलमीय भूल सुधार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार नौखडा की अनुशंषा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखडा की रिपोर्ट कमांक भू.अ. /2023/813 दिनांक 08.12.2023 द्वारा ग्राम नौखडा के खसरा नम्बर 823/704, 824/704, 880/869, 811/704, 809/704, 717/413, 716/413, 712/413, 796/704, 705/704, 803/704, 801/704, 800/704, 819/704, 860/781, 826/704, 878/864, 799/704, 822/704, 806/704, 804/704, 802/704, 795/704, 813/704, 818/704, 821/704, 825/704, 820/704, 874/866, 867/781, 827/704, 876/859, 851/781, 858/781, 855/781, 853/781, 852/781, 854/781, 857/781, 856/781 की तरमीम तथा खाता संख्या 135 में तीन नए खसरे रकबा कमशः 0.0828, 0.0647, 0.0081 हैक्टेयर सृजित करते हुए संलग्न नक्शा में दर्शित खसरा नम्बर मय रकबा अनुसार तरमीम संलग्न परिशिष्ट–'अ' अनुसार प्रस्तावित तरमीम जमाबन्दी में अंकित रकबे की सीमा तक शुद्ध करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार नौखडा की रिपोर्ट कमांक 813 दिनांक 08.12.2023 मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नौखड़ा आदेशों की पालना कर पालना रिर्पोट एक माह में पेश करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी